न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–104/2013

CIS NO. TS-440/2018

काशी यादव.....वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.10.2023	वादी की ओर से पैरवी है। प्रतिवादीगण की ओर से पैरवी नही है। वाद पुकार किया गया। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.03.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 04 व्यवहार प्रक्रिया संहिता एवं आवेदन धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 बनारसी राउत की मृत्यु दिनांक 08.10.2021 को हो चुकी है तथा मृतक अपने पीछे अपने विधिक वारिसानों के रूप में एक पुत्र राजेन्द्र यादव तथा दो पुत्री शांति देवी एवं गुलाईची देवी तथा तीसरी पुत्री की वारिसान के रूप में दो बेटा जवाहीर यादव एवं सुनील कुमार तथा एक बेटी सरोज देवी को छोडकर मरे है। मृतक के पुत्र राजेन्द्र यादव पूर्व से ही प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–02 के रूप में पक्षकार है। मृतक के स्थान पर वारिसानों का प्रतिस्थापन करना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि पीठासीन पदाधिकारी का स्थानांतरण हो जाने के कारण आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः आवेदन दाखिल करने में हुये विलंब को माफ करते हुये प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकार करने की कृपा करें। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 04.01.2022 को प्रतिवादी सं0–02 की ओर से प्रतिवादी सं0–01 की मृत्यु की सूचना तथा मृतक के वारिसानों का विवरण न्यायालय में आवेदन के माध्यम से दाखिल किया जा चुका है। इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–01 बनारसी राउत की मृत्यु हो चुकी है।	

<u>न्यायालय– मुंसिफ, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–104/2013</u>

<u>CIS NO. TS-440/2018</u>

काशी यादव.....वादी

बनाम

बनारसी राउत एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.10.2023	चुँकि वादी की ओर से प्रतिस्थापन आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 01.03.2023 को मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार मृतक प्रतिवादी सं0–01 बनारसी राउत के स्थान पर मृतक के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जाती है। वादी प्रतिस्थापन पश्चात् समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। कार्यालय जाँचोपरांत समन जारी करें। दिनांक 12.12.2023 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	